कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा-साहिब पी० शिन्दे) : (क) 31 दिसम्बर, 1970 को रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में 542 कृषि स्नातकोत्तर थे। (बेरोजगार पी० एच० डी० वालों की संख्या उपलब्ध नहीं है)।

(ख) जी हां। परन्तु विदेशों से अथवा देश में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1969 में किये गये एक अध्ययन से यह पता चलता है कि चौथी योजना के दौरान, भारत सरकार, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी क्षेत्र में इस समय विभिन्न विस्तार तथा अनुसन्धान कार्यक्रमों में लगे हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त, लगभग 3,000 कृषि स्नातकोत्तरों की आवश्यकता होगी।

इनके अतिरिक्त, सरकार को 5,000 कृषि-सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना है, जिनमें लगभग 50,000 स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमाधारी नियुक्त किये जाने की संभावना है। इनमें 10 से 15 प्रतिशत तक कृषि विशेषज्ञ होने की आशा है।

कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई अन्य विशेष योजनाओं (छोटे कृषकों का विकास अभिकरण सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, बारानी भूमि पर खेती, कमाण्डर क्षेत्र विकास और त्वरित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) से योजना, निर्माण तथा क्रियान्वित के लिये कृषि कार्मिक सहित तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति की मांग बढ़ने की सम्भावना है, यद्यपि ये योजनायें मुख्य तौर पर अकुशल श्रमिकों, छोटे कृषकों आदि के लिये बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के अप्रत्यक्ष लाभ से भी कृषि कार्मिक सहित रोजगार की ओर अधिक सम्भाव्यतायें बढ़ेंगी। सरकार शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी प्रदान करने के लिए 25 करोड़ रुपये वार्षिक की लागत से एक योजना प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस योजना को अन्तिम रूप देने के उपरान्त जब क्रियान्वित किया जायेगा, तो इससे कृषि स्नातकों और स्नातकोत्तरों को भी लाभ होने की सम्भावना है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक किसानों की ऋण सम्ब-धी आवश्यकतायें

7070. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कृषि उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किसानों को प्रतिवर्ष कितनी धन राशि के ऋणों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये किसानों को ऋण देने हेतु किन-किन संसाधनों से धन जुटाया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा-साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). चौथी योजना में कृषि ऋण की कुल मांग, जैसा कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुमान लगाया गया है, चौथी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए अल्पावधि ऋण 2,000 करोड़ रुपये तथा चौथी योजना के पाँच वर्षों के दौरान मध्यम तथा दीर्घावधि ऋण क्रमशः 500 करोड़ रुपये तथा 1,500 करोड़ रुपये है।

अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में सहकारी संस्थाओं द्वारा अल्प तथा मध्यम-कालीन ऋणों के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। योजना के 5 वर्षों के दौरान वाणिज्यक बैंकों से भी 400 करोड़ रुपये दिये जाने की सम्भावना है। योजनावधि के दौरान भूमि विकास बैंकों से 700 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋणों के रूप में दिये जाने की आशा है। कृषि पुनर्वित्त निगम 200 करोड़ रुपये तक पुनर्वित्त की सुविधायें प्रदान करेगा। विश्व बैंक ऋण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कारण, इस राशि के बढ़ाने

की सम्भावना है । आशा है कि कृषि-उद्योग निगमों से दीर्घकालीन ऋण के रूप में 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे । चौथी योजनावधि के अन्तिम वर्ष में सरकार से भी अल्पकालीन तकावी ऋण के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये दिये जाने की आशा है ।

Use of improved Tools and Equipment for Agriculture in Hilly Areas of N.E.F.A.

7071. SHRI C. C. GOHAIN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the specific steps Government have introduced in the N.E.F.A. area to use improved tools and equipments for the agriculture in the hilly areas ; and

(b) the amount allocated during the year 1971-72 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHIB P. SHINDE) : (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Implementation to decision to have Workers' Participation in Management of Public Undertakings

7072. SHRI C. K. CHANDRAPPAN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the decision to have workers' participation in the Boards of Directors of public undertakings has not yet been implemented in any of the public sector units ;

(b) if so, the reasons for the delay ; and

(c) the time by which this decision is likely to be implemented ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) to (c). The particular public sector undertakings in which the Scheme for the appointing of a workers' representative on the board of the management is to be implemented, are under consideration of the Government,

Schemes for raising Plantations of Quick-Growing Species of Trees

7073. SHRI C. K. CHANDRAPPAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pl ased to state :

(a) whether Government have formulated ary schemes for raising plantations of quick-growing species of trees durlng the Fourth plan ;

(b) if so, the broad details thereof ; and

(c) the estimated cost of the schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes, Sir. The scheme for raising plantations of quick growing species of trees as formulated during the Third Five Year Plan period. The scheme is continuing under the Fourth Plan.

(b) and (c). The above scheme was introduced during Third Five Year Plan period as a Centrally sponsored one with the object of raising such fast growing tree species which would give raw material for the forest based industries particularly pulp and paper within a period of 15-20 years. The main tree species found suitable for this purpose is Sucalyptus. Bamboos are also grown under this scheme. The scheme continued as a Centrally sponsored one upto 1968-69. The State Governments were provided central grant upto Rs. 250/- per acre for raising quick growing tree plantations. An amount of Rs. 3.80 crores was spent for raising plantations over 84,770 hectares during the Third Plan period. During the period 1966-69, an amount of about Rs. 8 crores has been utilised for covering an additional area of approximately 1,67,000 hectares under this scheme.

The scheme has been included under State sector during Fourth Plan period. The State Governments propose to raise quick growing tree species over 3,02,000 hectares during Fourth Plan period. An area of about 97,000 hectares has been covered under this scheme during 1969-70 and 1970-71.

Expenditure on Training of Farmers

7074. SHRI DHARMARAO AFZALPURKAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the amount of money granted for